समाहरणालय, बक्सर
(खनन शाखा)

पत्रांक .... / खनन,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार,पटना।

बक्सर, दिनांक / /2017

विषय : जिला के ईट निर्माताओं तथा ईट भट्ठा मालिकों के लिए आवश्यक सूचना का विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित बक्सर जिला के ईट निर्माताओं तथा ईट भट्ठा मालिकों के लिए आवश्यक सूचना हेतु विज्ञप्ति की पॉच प्रतियॉ CD सहित संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयांकित आवश्यक सूचना का प्रकाशन दो प्रमुख स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में A/4 साईज में कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोपरि।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

जिला पदाधिकारी
बक्सर

ज्ञापांक 278 / खनन, दिनांक 18/10/17।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सूचना की प्रति अविलम्ब जिला खनन शाखा, बक्सर को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/आई0टी प्रबंधक, बक्सर को सूचनार्थ एवं बक्सर जिला के अधिकारिक बेवसाईट पर आपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 18/10/17

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

जिला खनन कार्यालय, बक्सर

समाहरणालय बक्सर

(खनन शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

बक्सर जिला के ईट निर्माताओं तथा ईट–भट्ठा मालिकों के लिए आवश्यक सूचना

खान एवं भूतत्व विभाग को यह सूचना प्राप्त हो रही है कि बक्सर जिलान्तर्गत ईट–भट्ठे का संचालन वगैर पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद से CTE/CTO प्राप्त किये बिना ही किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही निर्माणकर्त्ताओं द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली,1972 के नियम 26(क) के तहत निर्धारित समेकित स्वामिस्व का भुगतान भी नहीं किया जाता है एवं वगैर खनन अनुज्ञप्ति के ही ईट–मिट्टी का निष्कासन किया जा रहा है। विदित हो कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार वगैर अनुज्ञप्ति/पट्टा के ईट–मिट्टी का खनन अवैध है एवं इस हेतु धारा 21 (1) में पांच वर्षो की कारावास के साथ–साथ पांच लाख रुपये प्रति हेक्टेयर जुर्माना का प्रवाधान किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में बक्सर जिला के सभी निर्माताओं को निदेश दिया जाता है कि वे निम्न प्रपत्र में अधतन सूचना खान एवं भूतत्व विभाग को ई–मेल **secymine-bih@nic.in** पर 7 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगर भविष्य में निरीक्षण के कम में यह पाया जाता है कि संबंधित ईट–भट्ठेदार खान एवं भूतत्व विभाग को बगैर सूचना उपलब्ध करायें संचालित है तो उनपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्र0	ईट निर्माण कर्ता का नाम एवं पता	मालिक का ई–मेल तथा मोबाईल नं0	ईट–भटठा को मौजा/थाना सं0	ईट–निर्माण हेतु जमीन निजी या किसी अन्य रैयती से प्राप्त है या नही	अगर अन्य रैयत से प्राप्त है तो लिखित सहमति प्राप्त है या नहीं	अंचल का नाम	BMMC Rules के नियम 26(क) के अनुसार भटठा किस श्रेणी के अन्तर्गत है तथा ईट का मार्का	खनन योजना ,खनन कार्यालय से अनुमोदित है या नहीं	SSEIAA/DEIAA से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है या नहीं	BSPCB से CTE/CTO प्राप्त है अथवा नही।	ईट भटठा कब से संचालित है	अबतक वर्षवार भुगतान की गई समेकित स्वामिस्व राशि का मुल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

यदि आपका ईट–भटठा फिलहाल बंद है तो भी उक्त सूचना देना अनिवार्य है।

विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाईट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

Asy 28/11/17

समाहर्त्ता

बक्सर।